न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 108 / 2022 (Bank Case)

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा भामाशाह मंडी, जिला– कोटा (राज.) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी अनिल कुमार।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज प्रो. श्री रामकिशन सुमन पुत्र श्री मांगीलाल सुमन
पता– डी–329, भामाशाह मंडी, कोटा, (राज.) –(ऋणी)
अन्य पताः– मकान नं. 123, सुभाष नगर–प्रथम, जिला– कोटा (राज.)
2. श्रीमती रामप्यारी बाई पत्नी श्री रामकिशन सुमन –(गारन्टर)
पता– मकान नं. 123, सुभाष नगर–प्रथम, जिला– कोटा (राज.)

– अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थितः–

श्री आर.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 31-5-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा भामाशाह मंडी, जिला– कोटा (राज.) में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 19.03.2019 एवं दिनांक 06.10.2020 को ऋण रूपये 48,00,000 / – (अक्षरेः रूपये अडतालीस लाख मात्र) एवं ऋण रूपये 9,77,000 / – (अक्षरेः रूपये नो लाख सत्तर हजार मात्र) इस प्रकार दोनों खातों में कुल ऋण 57,77,000 / – (अक्षरेः रूपये सत्तावन लाख सत्तर हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल **सम्पत्ति श्रीमती रामप्यारी बाई पत्नी श्री रामकिशन सुमन की सम्पत्ति मकान नं. 123, सुभाष नगर–प्रथम, जिला–कोटा, राजस्थान स्थित आवासिय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 650.98 वर्गफीट)। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में रोड, पश्चिम में– अन्य सम्पत्ति, उत्तर में– म.नं. 122, दक्षिण में– म.नं. 124 है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के ऋण खाता को दिनांक 04.06.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों मे रूपये 44,14,689 / – (अक्षरेः रूपये चव्वालीस लाख चौदह हजार छ सौ निवासी मात्र) व 10,19,168.28 / – (अक्षरेः रूपये दस लाख उन्नीस हजार एक सौ अडषठ व अठ्ठाईस पैसे मात्र) इस प्रकार कुल ऋण रूपये 54,33,857.28 / – (अक्षरेः रूपये चौपन लाख तेतीस हजार आठ सौ सतावन व अठ्ठाईस पैसे मात्र) दिनांक 31.05.2021 तक बकाया रकम शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 09.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को सुना गया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 09.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 09.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधक **अचल सम्पत्ति श्रीमती रामप्यारी बाई पत्नी श्री रामकिशन सुमन की सम्पत्ति मकान नं. 123, सुभाष नगर–प्रथम, जिला–कोटा, राजस्थान स्थित आवासिय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 650.98 वर्गफीट)**। जिसकी **चर्तु सीमाए– पूर्व में रोड, पश्चिम में– अन्य सम्पत्ति, उत्तर में– म.नं. 122, दक्षिण में– म.नं. 124 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 31-5-.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)